कार्यालय– जिलाधिकारी, देहरादून।

पत्रांक 398/एल0बी0सी0(पं0रा0)–2024 दिनांक 05.10.2024

आदेश

श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) डोईवाला के द्वारा नियमों के विरूद्ध उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाये बिना क्षेत्र पंचायत डोईवाला के अन्तर्गत जिला पंचायत प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्र 29–साहबनगर का नाम परिवर्तित कर 29–खैरीखुर्द किये जाने, 03 जिला पचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 28–खदरीखडक माफ–प्रथम, 29–खैरीखुर्द तथा 30–हरिपुर कलां तृतीय का परिसीमन कुछ विशेष लोगों के कहने पर उनकी इच्छानुसार किये जाने हेतु श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) डोईवाला द्वारा अपने हस्ताक्षर युक्त प्रारूप–4 को पुनर्गठन/परिसीमन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अनन्तिम प्रकाशन किया गया, किन्तु आपत्तिकर्ताओ की आपत्ति सही पाये जाने पर समिति द्वारा प्रारूप–4 में तद्नुसार संशोधन कर अन्तिम प्रकाशन किया गया। श्री गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा गम्भीर एवं जानबूझ कर की गयी अनियमितता पर श्री गुसांई के तत्काल निलंबन एवं इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 2243/दिनांक 30.09.2024 के द्वारा सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन को संस्तुति प्रेषित की गई।

जिला अध्यक्ष प्रधान सगठन देहरादून एवं विकास खण्ड डोईवाला के ग्राम प्रधानों के शिकायती पत्र जिसमें श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई, सहायक विकास अधिकारी(पं0), डोईवाला के विरूद्ध श्री अनिल कुमार प्रधान ग्राम पचांयत प्रतीतनगर को मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने आदि की शिकायत की गयी। प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्रांक 69/दिनांक 16.09.2024 के द्वारा जिला विकास अधिकारी देहरादून को जांच हेतु नामित किया गया, जिसकी जांच जिला विकास अधिकारी देहरादून द्वारा 21.09.2024 को की गयी। जिला विकास अधिकारी, देहरादून द्वारा अपनी जांच आख्या पत्र संख्या 1290/दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्रेषित की गयी। जिसमें जिला विकास अधिकारी, देहरादून द्वारा निलंम्बित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती पूजा भारद्वाज एवं अन्य के विरूद्ध श्री गुसांई द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन न करने एवं श्री गुसांई, द्वारा बिना प्रधानों की सहमति से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये साइन बोर्ड को बाजार से बिना अधिप्राप्ति नियमों का पालन किये ग्राम पंचायतों को पूर्ति की जाने, जिसकी लागत 2700.00 रू0 है को बाजार से बिना अधिप्राप्ति नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों को पूर्ति किये जाने जिसके लिये श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा बोर्ड के भुगतान हेतु ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाये जाने की पुष्टि की है।

उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के आदेश संख्या 2299/दिनांक 03.10.2024 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई को प्रशासनिक आधार पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) के पद पर विकास खण्ड चकराता स्थानान्तरित किया गया।

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 1702/दिनांक 04.10.2024 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के आदेश संख्या 2299/दिनांक 03.10.2024 जिसके द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई को प्रशासनिक आधार पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) के पद पर विकास खण्ड चकराता स्थानान्तरण किया गया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 04 में उल्लेख किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन हेतु तत्सम्बन्धी निर्गत शासनादेशानुसार पुनर्गठन/परिसीमन की प्रकिया सम्पादित किये जाने हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) अधिकृत नहीं है वरन, उक्त प्रकिया के सम्पादन हेतु गठित समिति (जिलाधिकारी–अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत–सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी– सदस्य एवं सचिव) को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत प्रतीतनगर के अन्तर्गत साईनबोर्ड की स्थापना एवं धनराशि के भुगतान सम्बन्धी कृत्य सम्बन्धित प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के क्षेत्राधिकार में निहित है।

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड के उक्त आदेश के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि:–

1. जिलाधिकारी, कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 2243/दिनांक 30.09.2024 जो सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित है के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई पत्राचार नही किया गया है अपितु बिना शासन के निर्देशो के विपरीत निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड द्वारा अपने स्तर से निर्देश दिये गये है जो नियम विरूद्ध है। त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन हेतु तत्सम्बन्धी निर्गत शासनादेशानुसार पुनर्गठन/परिसीमन की प्रकिया सम्पादित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, कार्यालय देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1274/दिनांक 27.07.2024 के द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन/परिसीमन हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी देहरादून को समय सारणी के अनुसार शासनादेश का परिपालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा निर्धारित तिथि के अनुसार प्राप्त आपत्तियों को निस्तारण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके कम में विकास खण्ड डोईवाला से प्रारूप–4 पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई द्वारा वैधानिक कर्तव्यो के फलस्वरूप जानबूझ कर चालाकी से हस्ताक्षर–युक्त अनन्तिम प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत मैनुअल–02 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तिया और कर्तव्य में उल्लेख किया गया है कि सहायक विकास अधिकारी(पं0) के कर्तव्यो में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यो का निर्वहन तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतीराज अधिनियम के अधीन निहित कार्यो, यथा वैधानिक व अन्य गतिविधियों का निर्वहन किया जायेगा। जिसके कम में श्री गुसांई द्वारा प्रारूप–4 पर हस्ताक्षर–युक्त अनन्तिम प्रस्ताव तैयार करते हुये समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः निदेशक पंचायतीराज का यह कथन कि पुनर्गठन/परिसीमन की प्रकिया सम्पादित किये जाने हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) अधिकृत नहीं है वरन, उक्त प्रकिया के सम्पादन हेतु गठित समिति (जिलाधिकारी–अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत–सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी– सदस्य एवं सचिव) को अधिकृत किया गया है, स्वीकार योग्य नही है।

2. ग्राम पंचायत प्रतीतनगर के अन्तर्गत साईन बोर्ड की स्थापना एवं धनराशि के भुगतान सम्बन्धी कृत्य सम्बन्धित प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के क्षेत्राधिकार में निहित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री गुसांई द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन न करने एवं श्री गुसांई, सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा बिना प्रधानों की सहमति से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये राज्य वित्त/15वां वित्त आयोग आदि मद से साईन बोर्ड को बाजार से बिना अधिप्राप्ति नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों को पूर्ति करवाने जिसकी लागत प्रति बोर्ड रू0 2700.00 है, जिसके भुगतान के लिये श्री गुसांई द्वारा ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाया जा रहा है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 यथा संशोधन 2021 की धारा 20 ग्राम पंचायत का वाह्य नियंत्रण– ग्राम पंचायत के लिये नियत प्राधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होगा, नियत प्राधिकारी से सम्बन्धित अधिकारी, कर्तव्ये, कृत्य वाह्य नियंत्रण आदि ऐसे होगें जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए। चूंकि सहायक विकास अधिकारी(पं0) विकास खण्ड स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते है जिससें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों में सभी प्रकार की कियाकलापो पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) का वाह्य नियंत्रण रहता है। उत्तराखण्ड पंचायतीराज विभाग के मैनुअल–02 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तिया और कर्तव्य में सहायक विकास अधिकारी(पं0) के कर्तव्यो में सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा *ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर अवमुक्त धनराशि से ग्राम पंचायत विकास योजना व क्षेत्र पंचायत विकास योजना तैयार करवाना, ग्राम पंचायत पर पंचायतीराज अधिनियम के अधीन निहित कार्यो, यथा वैधानिक व अन्य गतिविधियों का निर्वहन, ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं व निर्माण कार्यों का निरीक्षण, निगरानी व अनुश्रवण, ग्राम पंचायत*

स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं व सर्वेक्षणों का कियान्वयन, ग्राम पंचायत के समस्त मामलों के विषय मे सामयिक आदेशों का पालन करना, ग्राम पचायतों के धन के उचित उपयोग हेतु हिसाब–किताब की जांच करना तथा अवशेष नकद धन की पुष्टि करना तथा निर्माण कार्यों में होने वाले व्यय की देखरेख करना तथा अधिकतम जन सहयोग तथा उसके लिये प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग करके पूरा कराना आदि कर्तव्य सौपें गये हैं, विकास खण्ड की गांव सभाओं/ ग्राम पंचायतों में विभागीय योजनाओं का समयान्तर्गत कार्यान्वयन कराकर उपभोग प्रमाण पत्र आदि उचित स्तर पर भेजा जाना। श्री गुसांई द्वारा इन कर्तव्यो का पालन न करते हुए नियम विरूद्ध कार्य किये गये हैं, जिस कारण श्री गुसांई को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया। **अतः निदेशक पंचायतीराज द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी अनुचित एवं अवैधानिक है।**

3. उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18(4) गम्भीर शिकायतो, उच्च अधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि आदि न लेने के आधार पर जांच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त जहा सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाये ऐसे कार्मिको के स्थानान्तरण किये जा सकेगें। खण्ड (1) से (4) के अनुसार किये जाने वाली तैनाती/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक एवं भिन्न अवधि में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जा सकेगे और इस के लिये प्रकरण को स्थानान्तरण समिति के समक्ष ले जाने की आवश्यकता नही होगी, परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण पर सक्षम अधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) के स्थानान्तरण में जिला विकास अधिकारी की जांच आख्या में श्री गुसांई द्वारा जांच प्रकिया का पालन न करने एवं ग्राम पंचायत की अधिकार सीमा में अनाधिकृत हस्तक्षेप करने के दोषी पाये जाने पर एक स्तर ऊपर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त स्थानान्तरण किया गया है। अतः निदेशक पंचायतीराज द्वारा स्थानान्तरण आदेश संख्या 2299/दिनांक 03.10.2024 को निरस्त किया जाना नियम विरूद्ध है।

4. निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) के स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने से जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन के द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.10.2024 में रोष व्यक्त करते हुए श्री गुसांई द्वारा पंचायतों में अनावश्यक हस्ताक्षेप कर पंचायत के पैसो से बोर्ड बनवाने, कुछ लोगो को फायदा पहुचाने के लिये गलत तरीके से परिसीमन करने व भेदभाव पूर्ण जांच करने में श्री गुसांई के स्थानान्तरण को निरस्त करने पर एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को इस प्रकार की सह मिलने से ग्राम प्रधान बहुत हताश है एवं श्री गुसांई का विकास खण्ड डोईवाला से अन्यत्र स्थानान्तरण करने एवं स्थानान्तरण न होने की दशा में अनशन पर बैठने का उल्लेख किया गया है।

5. निकट भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायतो के निर्वाचन होने है किन्तु श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) के द्वारा किये गये उक्त नियम विरूद्ध कृत्यों से स्पष्ट है कि श्री गुसांई निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य तथा विभागीय कार्यो के सम्पादन के लिये अनुपयुक्त है।

6. खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला ने कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी देहरादून के आदेश संख्या 2299/दिनांक 03.10.2024 के कम में अपने कार्यालय आदेश संख्या 1134/दिनांक 04.10.2024 के द्वारा विकास खण्ड चकराता के लिये कार्यमुक्त किया है। खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला ने अपने पत्र संख्या मैमो /दिनांक 06.10.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा कार्यमुक्त आदेश संख्या 1134/दिनांक 04.10.2024 के द्वारा आदेश की मूल प्रति स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है। तत्पश्चात श्री गुसांई को दिनांक 06.10.2024 को आदेश वाट्स एप्प के माध्यम से प्रेषित किया गया है। इस प्रकार श्री गुसाई द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त न कर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर कर्मचारी आचरण नियमावली का भी उल्लघंन किया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के आदेश संख्या 2299/दिनांक 03.10.2024 जिसके द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह गुसाई का प्रशासनिक आधार पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) के पद पर विकास खण्ड चकराता किया गया स्थानान्तरण यथावत रखा जाता है। खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला द्वारा दिनांक 06.10.2024 को आदेश वाट्स एप्प के माध्यम से श्री गुसाई को प्रेषित कार्यमुक्त आदेश संख्या 1134/दिनांक 04.10.2024 प्रेषित की गयी है, का अनुपालन 03 दिवस मे न करने पर श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई की सेवा विराम करते हुए मुख्य कोषाधिकारी देहरादून को उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि किये जाने हेतु जिला पचांयत राज अधिकारी, देहरादून निर्देशित किया जाता है।

साथ ही श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई, सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा वित्तीय अनियमितता करने, शासकीय धन का नियम विरूद्ध उपयोग करवाने एवं उच्च अधिकारियों के गुमराह करने, धोखाधडी करने, तथ्यों के साथ छेडछाड करने एवं तथ्यों को छुपाने, मिथ्या सूचना देने, लोक सेवक होने के बावजूद अशुद्ध दस्तावेज की रचना करने तथा सरकारी कर्तव्यों के निवर्हन में बाधा डालने की पुष्टि के कम में जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून, को श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई सहायक विकास अधिकारी(पं0) के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

05/10

(सविन बंसल)
IAS
जिलाधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, गढवाल मंण्डल पौडी गढवाल को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून को परिपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल तामील कराते हुए सूचना मुख्य विकास अधिकारी देहरादून को देना सुनिश्चित करें।
6. खण्ड विकास अधिकारी, डोईवाला/चकराता।

जिलाधिकारी,
देहरादून।